

सत्र परीक्षण संख्या-४८७/२०१०

उ० प्र० राज्य बनाम सगीर आदि

1

न्यायालय-सप्तम, अपर सत्र न्यायाधीश, रायबरेली ।

उपस्थित-राम दयाल

(एच०जे०एस०)

सत्र परीक्षण संख्या-४८७/२०१०

उ० प्र० राज्य	बनाम	सगीर आदि
१-	सगीर पुत्र मजीद	
२-	निजाम पुत्र मजीद	
३-	शकील पुत्र मजीद	
४-	मजीद पुत्र मो० याकूब	

निवासी गण ग्राम बाबूखेडा मजरे गोविन्दपुर थाना शिवगढ

जिला रायबरेली ।

---अभियुक्त

मुकदमा अ०स०-३११/२००९

धारा-३०४,३०८,३२३,३२५,

४५२,५०४,५०६ भा०द०स०

थाना-शिवगढ जिला-रायबरेली

---निर्णय---

१

अभियुक्त गण सगीर,निजाम, शकील एवं मजीद के

विरुद्ध थाना शिवगढ जिला रायबरेली की पुलिस द्वारा आरोप पत्र अन्तर्गत धारा-३०४,३०८,४५२,३२३,३२५,५०४ व ५०६ भारतीय दण्ड संहिता मे प्रस्तुत कर परीक्षण हेतु न्यायालय में दाखिल किया गया ।

२ संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी के गाँव के सगीर व निजाम व शकील पुत्र गण मो० मजीद तथा मो० मजीद पुत्र मो० याकूब से प्रार्थी की पुरानी रंजिश है । उसी रंजिश के कारण आए दिन झगडा पर अमादा रहते है । घटना दिनांक २८-०५-२००९ सुबह करीब ८ बजे की है । प्रार्थी अपने दरवाजे पर बैठा मिट्टी का तेल बॉट रहाथा । तब उक्त चारो लोग कांता, लाठी लेकर प्रार्थी को मां बहिन की भददी भददी गाली देते हुए आए कहा साले को जान से मार डालो । तब प्रार्थी जान बचाकर भागकर घर में छिप गया तो चारो लोग प्रार्थी के घर में घुस गये । प्रार्थी को बचाने के लिये प्रार्थी की माँ शाकिरा व भाइ मुश्ताक अहमद व अकबाल अहमद तथा मुश्तकीम आए जिन्हें मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया । प्रार्थी को जान से मार डालने की नियत से घसीटते हुए बाहर लाए तब घर की औरते बच्चे और गांव के लोग इकटठा होकर मेरी जान बचाया । मां व भाइयो की हालत गम्भीर थी जिन्हें जीप से रायबरेली सरकारी अस्पताल लाया । पहुँचते ही मां की चोटो के कारण मौत हो गयी । बाकी लोगो की डाक्टरी पुलिस ने कराकर भर्ती कराया है इलाज चल रहा है । प्रार्थी को जाहिरा चोट नही आयी है । रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे ।

३ वादी मुकदमा की उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर थाना शिवगढ जिला रायबरेली में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की गयी । विवेचक द्वारा दौरान विवेचना गवाहो के बयान अंकित किये गये । मौके पर जाकर घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया एवं पर्याप्त साक्ष्य पाने पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जिस पर विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वतीयक, कोर्ट स०-१९ रायबरेली द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया और अपने आदेश दिनांकित २०-०७-२०१० से इस निष्कर्ष पर कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है । इसे विचारण हेतु सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया ।

४ सत्र न्यायालय में हाजिर आने के बाद दिनांक २८-०९-२०१० को अभियुक्त गण सगीर, निजाम, शकील व मजीद को अन्तर्गत धारा- ३०४ /३४ , ३०८ /३४ , ४५२ /३४ , ३२३ /३४ , ३२५/३४ , ५०४ व ५०६ भारतीय दण्ड संहिता के आरोपो से आरोपित किया गया । अभियुक्त उक्त ने आरोपो से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की ।

५ अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त गण पर लगाये गये आरोपो को साबित करने के लिये पी०डब्लू-१ के रूप में आलमीन, पी०डब्लू-२ के रूप में मुश्ताक अहमद, पी०डब्लू-३ के रूप में इकबाल अहमद, पी०डब्लू-४ के रूप में डाक्टर राजीव कुमार दीक्षित रेडियोलाजिस्ट, पी०डब्लू-५ के रूप में डाक्टर प्रभाकर, पी०डब्लू-६ के

रूप में एच०सी० शिव प्रताप सिंह, पी०डब्लू-७ के रूप में डाक्टर अमरनाथ, पी०डब्लू-८ के रूप में उप निरीक्षक लालचन्द्र यादव व पी०डब्लू-९ के रूप में सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर विजयराज सिंह को परीक्षित कराया गया है।

६ अभियोजन साक्ष्य समाप्त कर अभियुक्त गण का बयान धारा ३१३ द० प्र०स० अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त गण ने घटना से इन्कार किया एवं रंजिशन गवाही दिया जाना कहा एवं यह कथन किया कि वह निर्दोष है। उन्हें झूठा फंसाया गया है।

७ सफाई में अभियुक्त गण की ओर से फेहरिस्त से प्रपत्र १८७क/३ ता १८७क/४५ दाखिल किये गये।

८ मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रायबरेली व अभियुक्त गण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

९ पी०डब्लू-१ आलमीन ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि मृतका शाकिरा मेरी माँ है। घटना दिनांक २८-०५-२००९ को सुबह के लगभग ८ बजे की है। इस घटना को कारित करने वाले अभियुक्तों के नाम सगीर, शकील, निजाम व मजीद है। यह सभी अभियुक्त गण मेरे परिवार व मेरे गांव के है जिनको मैं भली भाँति जानता व पहचानता हूँ। हाजिर अदालत अभियुक्तों को देखकर गवाह ने कहा कि शकील को छोड़कर शेष अभियुक्त गण न्यायालय में उपस्थित है। उक्त

घटना की तिथि व समय पर मैं अपने दरवाजे पर बैठा मिट्टी का तेल बॉट रहा था क्योंकि मैं कोटेदार हूँ । जब मैं बॉट रहा था तब ही चारो अभियुक्त गण उपरोक्त मेरे दरवाजे पर आये जहाँ पर मैं तेल बॉट रहा था । चारो अभियुक्तों में से सगीर मुल्जिम के हाथ में कांता था तथा अन्य अभियुक्तों के हाथ में लाठीयां थी लेकर आये । अभियुक्त गण आते ही मुझे माँ बहन की गाली देने लगे कहा कि तुम्हारी माँ को चोदो तुम्हारी बहन को चोदो और कहा कि साले को जान से मार डालो बहुत नेता गिरी करता है और जैसे ही सभी लोग मुझे मारने के लिये झपटे तो मैं जान बचाकर अपने घर में छिप गया तब चारो अभियुक्त गण मेरे घर मे घुस आये और मुझे लात घूसो से मारने लगे तब मेरे घर में मौजूद मेरी माँ शाकिरा, मुश्ताक, अहमद , अकबाल अहमद व भाई मुस्तकीम मुझे बचाने आये । जब मेरी माँ मुझे बचाने के लिये आगे बढी तो अभियुक्त निजाम ने मेरी माँ के सिर पर लाठी से मार दिया दोनो हाथ से लाठी पकडकर मेरी माँ के सिर पर मार दिया । मेरे तीनों उपरोक्त भाइ जब मुझे बचाना चाहा तो अभियुक्तों ने उन्हें मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया तब अभियुक्त गण मुझे जान से मार डालने की नियत से घसीटते हुये बाहर लाये तो शोर पर घर की औरते, बच्चे व गाँव के अन्य लोग इकटठा होकर मेरी जान बचायी । मेरी माँ व भाइयो की हालत गम्भीर थी । घटना कारित करने के बाद अभियुक्त गण जान माल की धमकी देते हुये भाग गये । उसके बाद मैं अपनी माँ व चोटहिल भाइयो को जीप से लेकर जिला अस्पताल रायबरेली लाये । जहां पर मेरे चोटहिल भाइयो की डाक्टरी

हुयी और मेरी मेरी माँ को जिसको कि निजाम ने लाठी से घर के अन्दर सर पर मारा था । उन्ही चोटो के कारण जिला अस्पताल रायबरेली पहुँचते ही मेरी माँ की मृत्यु घटना वाले दिन हो गयी । मेरे हल्की फुल्की लात घूसो की चोटे थी और जाहिरा चोट नही थी इसलिये मै अपनी डाक्टरी नही करवायी फिर मैने कोतवाली रायबरेली को सूचना दिया । सूचना मुहजुबानी दिया था क्योकि जिला अस्पताल के डाक्टर ने कहा था कि कोतवाली में सूचना दे आओ । घटना वाले दिन ही मैने करीब दो बजे दिन में थाना शिवगढ से थाने पहुँचने से पहले रास्ते में एक राहगीर से घटना की दरखास्त बोल-बोल कर लिखायी और लिखने के बाद राहगीर ने मुझे पढकर सुनाया था । तब मैने उस प्रार्थना पत्र पर अपना दस्तखत किया था और इसी प्रार्थना पत्र को लेकर थाने में दिया था जिसे उसने अपने लेख व हस्ताक्षर में साबित किया है जिस पर प्रदर्श क-१ डाला गया है । घटना के संबंध में पुलिस वालो ने मुझसे पूछताछ की थी और दरोगा जी मौके पर गये थे और मौका दिखा दिया था । इस घटना के दो तीन दिन पहले जानवरो को लेकर मेरा अभियुक्तो से विवाद हुआ था और इसी विवाद के दौरान अभियुक्तो ने धमकी दिया था कि तुमको देख लेगे और जान से मार डालेगे । इसी रंजिश के कारण अभियुक्तो ने हम लोगो को मारा था ।

१० पी०डब्लू-२ मुश्ताक अहमद ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि घटना २८ मई २००९ की सुबह लगभग ८ बजे की है । मृतका शाकिरा मेरी मां थी । इस घटना के मुल्जिमान के नाम सगीर,

शकील, निजाम व मजीद है। यह मुल्जिमान मेरे परिवार के है व गांव के है जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता व पहचानता हूँ। घटना वाले दिन व समय मेरे भाई आलमीन अपने घर के दरवाजे मिट्टी का तेल बांट रहे थे क्योंकि मेरे भाई आलमीन के पास कोटे की दुकान है। जब मेरे भाई आलमीन मिट्टी का तेल बांट रहे थे तभी सगीर, शकील निजाम व मजीद मेरे भाई आलमीन को मां बहन की गाली देते हुये कहा कि साले मादरचोद को जान से मार डालो। उस समय सगीर के हाथ में कांता था। बाकी मुल्जिमान के हाथों में लाठिया थी। मेरे भाई आलमीन जानबचाकर घर में घुस गया और लाठी डण्डो से तथा लात घूसो से तथा भाला से मेरे भाई आलमीन को घर में घुसकर मारने लगे। आलमीन को उसके घर के अन्दर मारने लगे। हमारे भाई आलमीन चिल्लाने लगे तो हम लोग मुस्ताक, इकबाल, मुस्तकीम और मेरी मां शाकिरा बचाने के लिये दौड़ी। हम सभी लोग एक ही मकान में रहते है लेकिन हम भाइयो के हिस्से अलग-अलग है। हम लोग अपने-अपने हिस्सो से एक दूसरे के हिस्सो में आ जासकत है। जब हम लोग आलमीन को बचाने के लिये बढे तो सारे मुल्जिमान ने हम लोगो को ललकारा और मारने लगे। मुझे मारा और मेरे भाई इकबाल, मुस्तकीम व साकिरा मेरी मां को मारा। मुल्जिमान के मारने से हमारे सिर में चोटे आयी थी और सिर फट गया था। हाथ में भी चोट आयी थी। चोट खाने के बाद अस्पताल गये थे। चोट खाने के बाद मुस्ताक, मुस्तकीम, इकबाल व साकिरा को गम्भीर चोटे आ गयी थी। मेरे भाई आलमीन को जाहिरा चोट नही आयी थी। हमारी मां

को मुल्जिम निजाम ने लाठी से सिर पर मारा था । लाठी से मां के सिर में मारा था और हम लोगो को मारा था । बाकी लोगो के वार से मां को बचा लिया था । हम लोग जीप से सरकारी अस्पताल रायबरेली गये थे । वह हम लोगो का इलाज हुआ था । मेरी मां के अस्पताल पहुँचते ही मृत घोषित कर दिया गया था । जिला अस्पताल में एक्सरे कराया गया था । घटना की रिपोर्ट मेरे भाई ने किया था । दूसरे दिन मुझे मालूम हुआ था । पुलिस वालो ने घटना के दूसरे दिन अस्पताल में पूछताछ किया था ।

११ पी०डब्लू-३ इकबाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि मुल्जिमान उसके गांव के रहने वाले है । इन लोगो से पुरानी रंजिश चली आ रही है । घटना दिनांक २८-०५-२००९ की सुबह कीरब ८ बजे की है । उसके बड़े भाई आलमीन अपने दरवाजे पर बैठे मिट्टी का तेल बांट रहे थे । उसी समय पुरानी रंजिश के कारण मुल्जिमान उक्त जिसमें से सगीर कांता लिये थे तथा बाकी लाठी लिये थे । दरवाजे पर आकर आलमीन को मां बहन की गाली देने लगे व जान से मारने की धमकी दिये । मेरे भाई आलमीन दरवाजे से घर के अन्दर भाग गये । उपरोक्त लोग घर के अन्दर घुसकर लात घूसो से मारे पीटे । मैं तथा मुश्तकीम व मुश्ताक व मेरी मां साकिरा बचाने दौड़े तो हम लोगो को भी कांता व लाठी से मारा । मेरी मां साकिरा मरणासन्न हो गयी । मेरे भाई आलमीन को घर के अन्दर से घसीटते हुये बाहर ला रहे थे । हम लोगो की चीख पुकार पर परिवार के आरिफ व गांव के लोग आ गये थे । मुल्जिमान गाली व जान से मारने की

धमकी देते हुये चले गये । मेरे भाई आलमीन ने गाडी की व्यवस्था करके हम लोगो को इलाज के लिये जिला अस्पताल रायबरेली ले गये । अस्पताल पहुँचते ही मेरी माँ मुल्जिमान द्वारा पहुँचायी गयी चोटो के कारण मर गयी । हम लोगो की डाक्टरी जिला अस्पताल रायबरेली में हुआ । हमारी चोटे गम्भीर होने के कारण भर्ती कर लिया गया । घटना की रिपोर्ट मेरे भाई आलमीन ने थाना शिवगढ में किया था । मेरी चोटो का एक्सरे भी हुआ था तथा मेरा बांया हाथ टूट गया था । दरोगा जी घटना के दूसरे दिन अस्पताल में मेरा बयान लिये थे।

१२ अभियोजन की तरफ से पी०डब्लू-४ के रूप में डाक्टर राजीव कुमार दीक्षित को परीक्षित कराया गया है जिन्होने यह कथन किया कि वह दिनांक २९-०५-२००९ को जिला महिला चिकित्सालय मे रेडियोलाजिस्ट के पद पर तैनात थे । उसी दिन ई एम ओ जिला अस्पताल रायबरेली द्वारा एक्सरे हेतु रेफर किये गये मुस्तकीम की चोटो का एक्सरे अपनी देखरेख में एक्सरे टेक्नीशियन द्वारा कराया था । एक्सरे में दाहिने सर की टैम्पोरल हडडी में फैंक्चर पाया गया । एक्सरे रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में जिसे मैं साबित करते हूँ जिस पर प्रदर्श क-२ डाला गया । चोट वाइटल पार्ट पर है जो प्राणघातक हो सकती है । उसी दिन इकबाल का एक्सरे भी उनकी देखरेख में एक्सरे टेक्नीशियन द्वारा किया गया था जो ई एम ओ द्वारा रेफर किया गया था जिसके हाथ के एक्सरे में तीसरी चौथी व पाचवी में मेटाकार्पल हडडी का फैंक्चर पाया गया था । उक्त रिपोर्ट उसके लेख व

हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्शक-३ डाला गया है जिसे उसने साबित किया है तथा एक्सरे प्लेट भौतिक प्रदर्शक १ ता ३ को भी साबित किया है।

१३ पी०डब्लू-५ के रूप में डाक्टर प्रभाकर वरिष्ठ परामर्शदाता जिला चिकित्सालय रायबरेली को परीक्षित कराया गया है जिसने अपने मुख्य बयान में यह कहा है कि वह दिनांक २९-०५-२००९ को जिला अस्पताल रायबरेली में परामर्शदाता के पद पर था। उक्त तिथि को उसकी डियूटी पोस्टमार्टम के लिये लगी थी। उसी दिन समय २ बजे अपरान्ह मृतका शाकिरा का शव विच्छेदन किया जिसे कां० सी पी बैजनाथ यादव व होमगार्ड कोतवाली रायबरेली लेकर आये थे। मृतका की उम्र लगभग ७० वर्ष थी। मृतका औसत कद काठी की थी। जिसकी दोनो आंखे अधखुली थी। अकडन पास हो चुकी थी। मृतका के शरीर पर मृत्यु पूर्व की निम्न चोटे पायी गयी।

१- फटा हुआ घाव ४.५ सेमी गुणे ३ सेमी गुणे बोन कैलिस डीप सिर के अग्रभाग पर पायी गयी जो दाहिनी भौ से १० सेमी उपर थी जिसकी मार्जेन इरगुलर थी जिसके डिसेकेशन पर फ्रन्टल बोन कइ टुकडो में टूटी हुयी मिली। मस्तिष्क की झिल्लियां और मस्तिष्क फटा हुआ मिली। मस्तिष्क का अग्रभाग सेरीब्रम फटा हुआ था और इन्ट्रोकोनियम कैविटी में खून का थक्का मौजूद था। मृतका के दोनो फेफडे कन्जेस्टेड थे। अमाशय खाली पाया गया। छोटी आंत में गैस व पेस्टी मेटेरियल पायी गयी। मृतका की मृत्यु मृत्यु पूर्व सिर में आयी इसी चोट की वजह से सदमे

कोमा में जाने की वजह से हुयी । उक्त साक्षी ने शव विच्छेदन आख्या प्रदर्श क-४ को साबित किया है । मृतका के सिर पर आयी चोट उसकी मृत्यु के लिये पर्याप्त थी । दिनांक २८-०५-२००९ की ८ बजे प्रातः मृतका को उक्त चोट आयी हो तो उसकी मृत्यु संभव है ।

१४ पी०डब्लू-६ एच सी ५१२ शिव प्रताप सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वह दिनांक २८-०५-२००९ को थाना शिवगढ में कां० मो० के पद पर कार्यरत था । उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में इस घटना की मूल चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-५ व उसका जी०डी० में इन्द्राज करने की प्रति प्रदर्श क-६ को साबित किया है।

१५ पी०डब्लू-७ के रूप में ई०एम ओ डाक्टर अमरनाथ वरिष्ठ परामर्शदाता को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपने बयान में यह कथन किया है कि दिनांक २८-०५-२००९ को वह जिला अस्पताल रायबरेली में उक्त पद पर तैनात थे । उस दिन समय ११.१५ एम एम पर मजरुब मुस्तकीम के शरीर पर आयी चोटों का मुआयना किया और उसके शरीर पर निम्न चोटे पायी गयी-

१- नीलगू निशान ७ सेमी गुणे ३ सेमी दाहिने तरफ सिर के टेम्पोरल भाग पर थी जो दाहिने कान के करीब थी । इस चोट को अण्डर आब्जरवेशन रखा गया तथा एक्सरे की सलाह दी गयी ।

२- दाहिने तरफ गर्दन में दर्द की शिकायत बता रहाथा ।

उक्त साक्षी की राय में चोट नम्बर-१ को अण्डर

आब्जरवेशन रखा गया तथा चोट न०-२ साधारण प्रकृति की थी । उक्त साक्षी की राय में सभी चोटे बलन्ट एवं हार्ड आब्जेक्ट से पहुँचायी गयी थी । चोटे ताजी थी ।

उसी दिन समय ११.४५ एम एम पर मजरूब अकबाल के चोटो का चिकित्सीय परीक्षण किया और उसके शरीर पर निम्न लिखित चोटे पायी गयी-

१- फटा हुआ घाव ४ सेमी गुणे .५ सेमी गुणे स्वल्प डीप सिर के बाये तरफ जो कि बायी भौ से ७ सेमी उपर थी । इस चोट को अण्डर आब्जरवेशन रखा गया और एक्सरे की सलाह दी गयी ।

२- फटा हुआ घाव २ सेमी गुणे .५ सेमी गुणे स्वल्प डीप बाये भौ से ठीक उपर थी ।

३- नीलगू निशान उभरा हुआ ५ सेमी गुणे ४ सेमी जो बाये हाथ के पीछे भाग पर थी जिसे अण्डर आब्जरवेशन रखा गया और एक्सरे की सलाह दी गयी ।

४- खरोच का निशान ४ सेमी गुणे २ सेमी दाहिने तरफ कंधे के उपर ।

उक्त साक्षी की राय में चोट स०-१ व ३ को अण्डर आब्जरवेशन रखा गया था तथा एक्सरे की सलाह दी गयी । चोट स० २ व ४ साधारण थी । अवधि ताजी थी । सभी चोटे ब्लन्ट एवं हार्ड आब्जेक्ट से पहुँचायी गयी थी ।

उसी दिन समय १२.०५ पी एम पर मजरूब मुस्ताक अहमद का चिकित्सीय परीक्षण किया और उसके शरीर पर निम्न चोटें पायीं गयीं-

१- फटा हुआ घाव ५ सेमी गुण्डे १ सेमी गुण्डे स्कल्प डीप सर के एकदम टाप पर थी जो बायें कान से १० सेमी की दूरी पर थी । इस चोट को अण्डर आब्जरवेशन रखा गया और एक्सरे की सलाह दी गयी ।

२- दाहिने तरफ फोरआर्म में दर्द की शिकायत बता रहा है ।

उक्त साक्षी की राय में चोट स०-१ को अण्डर आब्जरवेशन रखा गया और एक्सरे की सलाह दी गयी थी । चोट स०-२ साधारण थी । अवधि ताजी । सभी चोटें बलण्ट एवं हार्ड आब्जेक्ट से पहुँचायीं गयीं थी ।

तीनों चोटहिल की डाक्टरी रिपोर्ट कागज संख्या २६क १ ता ३ प्रमाणित फोटो प्रति इंजरी रिपोर्ट है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है । उसने मूल इंजरी रिपोर्ट पर चोटहिलो के निशानी अगूठा लगवाया था और प्रमाणित किया था जिसे प्रदर्श क-७ ता प्रदर्श क-९ के रूप में साबित किया है । मजरूब मुस्तकीम की चोट स०-१ चोटहिल अकबाल अहमद की चोट स०-१ व ३ तथा चोटहिल मुस्ताक अहमद की चोट स०-१ जिन्हें एक्सरे के लिये रिफर किया गया था गम्भीर प्रकृति की थी और प्राणघातक हो सकती थी । यह चोट लाडी डन्डा व बांका के पिछले

हिस्से जो कि भोथरा होता है से आना संभव है

१६ पी०डब्लू-८पंचायतनामा के गवाह उप निरीक्षक लालचन्द्र यादव को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि मैं मृतका श्रीमती शाकिरा पत्नी मो० सलीम के शव का पंचायतनामा समय करीब १४.३० बजे दिनांक २८-०५-२००९ को किया जो समय १५.४५ बजे समाप्त हुआ । पंचायतनामा कागज संख्या ११क/२ व ११क/३ मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसे मैं साबित करता हूँ जिस पर प्रदर्श क-१० डाला गया । पंचायतनामा के समय मेरे द्वारा प्रपत्र इ०एम०ओ चालान लाश व फोटो नाश जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है को मैं साबित करता हूँ जिस पर प्रदर्श क-११ ता प्रदर्श क-१३ डाला गया है । पंचान में मुस्तकीम अहमद, मो० अयूब, मो० शहजाद , श्रीमती बदरूनीन निशा व शमीम अहमद नियुक्त कर उनके हस्ताक्षर कराये गये । पंचान की राय में मृतका के केवल एक चोट सिर पर पायी गयी और कोई चोट पंचायतनामा करते समय नहीं पायी गयी परन्तु मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं था ।

१७ पी०डब्लू-९ के रूप में विवेचक सेवा निवृत्त विजयराज सिंह को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक २८-०५-२००९ को वह बतौर चौकी इंचार्ज गुमावा में तैनात था । विवेचना प्राप्त होने पर दिनांक २८-०५-२००९ को सी०डी० का पर्चा-। किता किया जिसमें नकल चिक, नकल

रपट, बयान मजरूब सगीर, शकील, मजीद बयान लेखक प्रथम सूचना रिपोर्ट कां मो० शिव प्रताप सिंह व बयान वादी आलमीन तथा उल्लेख इंजरी रिपोर्ट सगीर, शकील, मजीद तथा अभियुक्त गण को अभिरक्षा में लिया गया । चोटहिल होने के कारण अभिरक्षा में इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया । थाने से वादी को लेकर घटना स्थल पर एस ओ साहब, उप निरीक्षक राम शंकर मय फोर्स मिले । वादी मुकदमा की निशा देही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया । मौके से सादी व खून आलूद मिट्टी अलग अलग डिब्बे में कब्जे में लेकर सर्वमुहर किया । मौके पर फर्द उप निरीक्षक रामशंकर सिंह से बोल बोल कर तैयार करायी गयी । गवाहान को पढकर सुनाकर हस्ताक्षर बनवाये गये । फर्द की नकल सी डी में की गयी । फर्द बरामद सादी व खूनालूद मिट्टी शामिल पत्रावली कागज संख्या १५क है जो उप निरीक्षक राम शंकर सिंह के लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क-१४ डाला गया है । जिला अस्पताल पहुँच कर मजरूब इकबाल, मुस्ताक, मुस्तकीम जनरल वार्ड में बेड संख्या १ ,२ व १३ पर भर्ती मिले बयान देने की स्थिति में नहीं थे इसलिये बयान नहीं लिया गया । अभियुक्त निजाम की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी किन्तु वह नहीं मिला । मुकदमें में सी डी ॥ दिनांक २९-०५-२००९ को किता किया जिसमें जिला चिकित्सालय में भर्ती मजरूब इकबाल मुस्तकीम व मुस्ताक के बयान दर्ज किये गये । मुस्तकीम की इंजरी का उल्लेख सी डी में किया गया । दिनांक ०१-०६-२००९ को सी डी ॥।। किता किया गया जिसमें अभियुक्त निजाम की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी

किन्तु वह नहीं मिला । गवाह आरिफ , वादी गवाह श्रीमती बदरुनिशा , फर्द गवाह शमीम व अतीक का बयान अंकित किया गया । दिनांक ०२-०६-२००९ को सी डी का पर्चा IV किता किया गया जिसमें मृतका श्रीमती शाकिरा का पंचायतनामा व पी एम रिपोर्ट का उल्लेख कर सी डी में अंकित किया गया । पी एम के अवलोकन से मृतका के सर में चोट का आना पाया गया । मृत्यु का कारण सर में आयी हुयी चोट थी । तत्पश्चात थाने से प्रस्थान कर ग्राम बाबूखेडा पहुँचा तथा पंचायतनामा के गवाह अयूब, शहजाद, बदरुनिशा व शमीम तथा कोतवाली रायबरेली में उप निरीक्षक लालचन्द्र व कां० बैजनाथ का बयान लेखबद्ध किया गया । दिनांक ०५-०६-२००९ को सी डी न० ५ किता किया गया इसमें एकसरे रिपोर्ट मुस्तकीम, इकबाल अंकित किया गया तथा धारा ३२५ भा०द०स० की बढोत्तरी की गयी । दिनांक ०६-०६-२००९ को सी डी न० ६ व सी डी न० ७ दिनांक १७-०६-२००९ को अभियुक्त निजाम हेतु दबिश दी गयी परन्तु वह नहीं मिला । सी डी न० ८ दिनांक ११-०६-२००९ को रिमाण्ड का पर्चा मिला । बयान गवाह पंचान अंकित किया गया। सी डी न० ९ दिनांक २३-०६-२००९ को किता किया गया जिसमें दबिश निजाम की गयी तथा ८२/८३ हेतु रिपोर्ट दी गयी । सी डी न० ११ दिनांक २८-०६-२००९ को अभियुक्त निजाम की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी नहीं मिला । दिनांक ०१-०७-२००९ को अभियुक्त निजाम ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया सी डी में दर्ज किया । सी डी न० १३ दिनांक ०३-

०७-२००९ वाद अनुमति जिला जेल रायबरेली में बयान लिया गया । विवेचना के उपरांत मुल्जिमान सगीर आदि के विरुद्ध धारा ३०४,३०८,४५२,३२३,३२५,५०४,५०६ भा०द०स० प्रमाणित होने पर उक्त अभियुक्त गण के विरुद्ध आरोप पत्र सं० ७२ए/२००९ दिनांक ०३-०७-२००९ को प्रेषित किया जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है । उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में नक्शा नजरी प्रदर्श क-१५ व आरोप पत्र प्रदर्श क-१६ को अपने लेख व हस्ताक्षर में बताते हुये साबित किया है ।

१८ विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रायबरेली द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त गण सगीर, अब्दुल मजीद, निजाम, शकील ने दिनांक २८-०५-२००९ को समय ८ बजे सुबह वादी आलमीन को तथा उसकी माँ व भाइयो को काता, लाठी से पीट-पीट कर चोटे पहुँचायी जिसके कारण दौरान इलाज माँ शाकिरा की मृत्यु हो गयी ।

१९ अभियोजन कथानक को साबित करने के लिये दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में तहरीर कागज संख्या १५६क प्रदर्श क-१, एक्सरे रिपोर्ट कागज संख्या १५७क प्रदर्श क-२, एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क-३, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कागज संख्या १५९क प्रदर्श क-४, प्रथम सूचना रिपोर्ट की द्वितीय प्रति कागज संख्या १६०क प्रदर्श क-५, जी०डी की कार्बन प्रति कागज संख्या १६१क प्रदर्श क-६, आघात आख्या की फोटो प्रति मुस्तकीम कागज संख्या १६२क प्रदर्श क-७, आघात आख्या अकबाल

की फोटो प्रति कागज संख्या १६३क प्रदर्श क-८, आघात आख्या मुस्ताक अहमद की फोटो प्रति कागज संख्या १६४क प्रदर्श क-९, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट शाकिरा कागज संख्या १६५क/१ ता १६५क/२ प्रदर्श क-१०, शव प्रेषित पत्र कागज संख्या १६६क प्रदर्श क-११, कागज संख्या १६७क प्रदर्श क-१२, पुलिस फार्मा कागज संख्या १६८क प्रदर्श क-१३, फर्द खून आलूद व सादी मिट्टी प्रदर्श क-१४, नक्शा नजरी कागज संख्या १६९क प्रदर्श क-१५, आरोप पत्र. कागज संख्या १७०क प्रदर्श क-१६, मेडिकल सगीर कागज संख्या १७२क, मेडिकल अकबाल अहमद कागज संख्या १७३क, मेडिकल सकील कागज संख्या १७४क, भौतिक प्रदर्श एक्सर प्लेट १ व २ उपलब्ध है तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में पी०डब्लू-१ के रूप में आलमीन, पी०डब्लू-२ के रूप में मुस्ताक अहमद, पी०डब्लू-३ के रूप में इकबाल अहमद, पी०डब्लू-४ के रूप में डाक्टर राजीव कुमार दीक्षित रेडियोलॉजिस्ट, पी०डब्लू-५ के रूप में डाक्टर प्रभाकर, पी०डब्लू-६ के रूप में एच०सी० शिव प्रताप सिंह, पी०डब्लू-७ के रूप में डाक्टर अमरनाथ, पी०डब्लू-८ के रूप में उप निरीक्षक लालचन्द्र यादव व पी०डब्लू-९ के रूप में सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर विजयराज सिंह को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने घटना को साबित किया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक साक्ष्य एवं अभिलेखीय साक्ष्य में कोई विरोधाभाष नहीं है। साक्ष्यो में सामंजस्य एवं तारतम्यता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना किसी अनुचित विलंब के लिखायी गयी है। पत्रावली में जो

साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उसमे अभियुक्तो के विरुद्ध लगाये गये आरोप साबित होते है । अभियुक्त गण द्वारा घटना कारित की गयी है । अभियुक्त गण लगाये गये आरोप के दोषी है ।

२० **बचाव पक्ष की ओर से सूची १८७क/१ से बयान**
पी०डब्लू-१ अब्दुल मजीन सत्र परीक्षण संख्या ६१२/१३ कागज संख्या १८७क/३ ता १८७क/६, बयान पी०डब्लू-२ शकील कागज संख्या १८७क/८ से १९७क/१३, बयान पी०डब्लू-३ सगीर कागज संख्या १८७क/१५ ता १८७क/१९, बयान पी०डब्लू-४ डाक्टर राजीव कुमार दीक्षित कागज संख्या १८७क/२१ ता १८७क/२, बयान विजयराज सिंह कागज संख्या १८७क/२४ ता १८७क/२९ , बयान पी०डब्लू-६ अनुराग तिवारी फिजोयोथेरिपिस्ट कागज संख्या १८७क/३१ ता १८७क/३२ , मुकदमा अ० स० ३११/०९ की द्वितीय प्रति प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज संख्या १८७क/३४ ता ३५,आरोप पत्र कागज संख्या १८७क/३७, एक्सरे रिपोर्ट सगीर कागज संख्या १८७क/३३, आघात आख्या सगीर अहमद कागज संख्या १८७क/४१, आघात आख्या अकबाल कागज संख्या १८७क/४३, आघात आख्या शकील कागज संख्या १८७क/४५ प्रस्तुत किया गया है

२१ **बचाव पक्ष की तरफ से विधि व्यवस्था स्टेट आफ**
पंजाब बनाम अवतार सिंह, २००९(१)जे आई सी, ३२४(एस सी), राम सेवक एवं अन्य बनाम स्टेट आफ एम पी , २००४,(४९)ए सी सी ६०५,

स्टेट आफ पंजाब बनाम अब सिंह एवं अन्य, २००४ (४९) ए सी सी पेज ६७३ प्रस्तुत की गयी है जिनका मैंने सम्मानपूर्व अवलोकन किया । उक्त विधि व्यवस्था यथा स्थान पर सन्दर्भित की है ।

२२ बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एन्टीटाइम और फर्जी तरीके से दर्ज करायी गयी है क्योंकि पी०डब्लू-१ के बयान से स्पष्ट है क्योंकि पी०डब्लू-१ ने अपने बयान में यह कथन किया है कि मुहजुबानी सूचना डाक्टर के कहने पर कोतवाली रायबरेली में दिया था तथा उसी बयान में यह भी कहा है कि घटना वाले दिन राहगीर से शिवगढ थाने पहुँचने से पहले दरखास्त बोल-बोल कर लिखाया तथा सुनने के पश्चात हस्ताक्षर किया जो आपस में विरोधाभाषी है उसके आधार पर दोषसिद्ध नहीं की जा सकती है।

२३ अभियोजन की तरफ से बचाव पक्ष के उक्त तर्क का खण्डन करते हुये कथन किया गया है कि मां को जिला अस्पताल लाने पर तथा वहां पर मृत घोषित होने पर गवाह द्वारा कोतवाली में सूचना देने के बारे में कहा गया है परन्तु राहगीर से शिवगढ थाना पहुँचने से पहले दरखास्त लिखवाया था तथा हस्ताक्षर करके उसी दिन देना कहा गया है इसमें किसी प्रकार के संदेह की गुजाइंश नहीं है । प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है क्योंकि घटना के दिन तहरीर १४ बजे दी गयी है जैसा कि कागज संख्या १६०क प्रदर्श क-५ से स्पष्ट है अर्थात् यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब माना भी जाय तो कुछ ही घंटों का है जो परिस्थिति एवं मां

को इलाज हेतु अस्पताल ले जाते समय मरने के कारण हुआ है। जहां तक फर्जी प्रथम सूचना रिपोर्ट का प्रश्न है तो उक्त के संबंध में बचाव पक्ष द्वारा कोई ऐसा मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया गया है जिससे प्रथम सूचना रिपोर्ट फर्जी कराने की बात साबित हो सके इसलिये अभियुक्त गण को सन्देह का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

२४ बचाव पक्ष द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है जो भी गवाह प्रस्तुत किये गये हैं वे आपस में सगे भाइ हैं उनके साक्ष्य पर ही विश्वास करके अभियुक्त गण को दण्डित नहीं किया जा सकता है।

२५ अभियोजन की तरफ से बचाव पक्ष के उक्त तर्क का खण्डन करते हुये कथन किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्था **एम सी अली बनाम केरल राज्य ए आइ आर २०१० एस सी पेज १६३१ तथा भजन सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य २०११(७)ए सी सी पेज ४२१** में माननीय न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि हितबद्ध एवं पारिवारिक साक्षियों के साक्ष्य पर पूर्ण विश्वास किया जाता सकता है परन्तु उनके साक्ष्य का सावधानीपूर्वक आकलन करने के बाद ही निष्कर्ष निकालना चाहिये और ऐसे साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया जा सकता है।

२६ इसी बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने **धारी बनाम उ० प्र० राज्य ए आइ आर २०१३ एस सी पेज ३०८** में यह

सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि फौजदारी परीक्षण के मामले में किसी साक्षी का साक्ष्य मात्र इस आधार पर इन्कार नहीं किया जा सकता है कि वह पीडित के परिवार का या उसका सगा संबंधी है बल्कि ऐसे मामले में ऐसे साक्षी के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक आकलन एवं अवलोकन करना चाहिये और यदि ऐसे साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय और अन्य गवाहों के साक्ष्य से उसकी सम्पुष्टि हो जाती है तो अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है ।

मुकेश बनाम एन सी टी दिल्ली एवं अन्य ए आइ आर २०१७ एस सी

२१६१ में माननीय न्यायालय द्वारा यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि यदि परीक्षित साक्षी विश्वसनीय एवं सही है तो स्वतंत्र गवाहों को परीक्षित न कराना अभियोजन के लिये घातक नहीं होगा । प्रस्तुत प्रकरण में साक्षियों के साक्ष्य से घटना साबित होती है तो ऐसी दशा में स्वतंत्र साक्षी श्री कृष्ण, राम बहादुर को परीक्षित न कराना घातक नहीं है । बचाव पक्ष की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पी०डब्लू-१ तथा अन्य गवाह की घटना स्थल पर उपस्थिति संदिग्ध है क्योंकि यदि पी०डब्लू-१ घटना स्थल पर उपस्थित था तो उसे चोट क्यों नहीं आयी जबकि उसी व्यक्ति को अभियुक्त गण द्वारा धमकी व टारगेट बनाया गया था । इसी प्रकार अन्य चुटैल साक्षी की भी उपस्थिति संदिग्ध हो जाती है जिसका लाभ अभियुक्त गण को दिया जाना चाहिये ।

२७

अभियोजन की तरफ से बचाव पक्ष के उक्त तर्क का

खण्डन करते हुये कथन किया गया कि पी०डब्लू-१ अपने बयान में यह

कथन किया है कि घटना वाले दिन व समय पर वह अपने दरवाजे पर बैठ कर मिट्टी का तेल बांट रहा था। उसी समय सभी अभियुक्त गण दरवाजे पर आये। सगीर के हाथ में कांता व अन्य के हाथ में लाठिया थी आते ही मां बहन की गालियां देते हुये झपटे तो जान बचाकर घर में घुस गया। चारपायी के पास छिपा था तो लात घूसो से मारा। मां शाकिरा, भाइ अकबाल, मुस्तकीम व अन्य बचाने आये तो निजाम दोनो हाथ से लाठी से मां के सिर पर मारा जो गम्भीर रूप से घायल हो गयी तथा मार पीट में भाइयो को चोटे आयी जिससे हालत गम्भीर हो गयी। मेरे मात्र हल्की फुल्की लात घूसो की चोटे थी जाहिरा चोट नही थी। इससे भी उपस्थिति स्पष्ट हो जाती है साथ ही **माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था मकसूदन बनाम उ० प्र० राज्य (१९८३)१ एस सी सी २१८ (तीन जजो की पीठ)प्रस्तुत** की गयी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि यदि चुटैल साक्षी चोट खाया है तो उसकी घटना स्थल पर तथा घटना के समय उपस्थिति के बारे में अविश्वास नही किया जा सकता है और न ही उसकी उपस्थिति सदिग्ध ही मानी जा सकती है साथ ही अभियोजन द्वारा यह भी कथन किया गया कि यदि पी०डब्लू-१ व अन्य चुटैल साक्षी घटना स्थल पर उपस्थित न होते तो कौन अभियुक्त कौन सा हथियार लिया था और कौन किसको तथा शरीर के किस अंग पर वार किया कैसे स्पष्ट रूप से अपने बयान में कथन करता। इससे भी साक्षी गण की घटना स्थल तथा घटना के समय उपस्थिति स्पष्ट हो जाती है।

२८ बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि अभियुक्त गण का आशय अपराध करने का नहीं था और न ही कोई प्राणघातक चोट पहुँचाने का ही आशय रहा है जो भी चोटे कारित की गयी है वह स्वयं की रक्षा में कारित की गयी है ।

२९ अभियोजन द्वारा बचाव पक्ष के उक्त तर्क का खण्डन करते हुये कथन किया गया कि यदि मान भी लिया जाय कि अभियुक्त गण का आशय अपराध कारित करने का नहीं था परन्तु हथियार की प्रकृति तथा शरीर के नाजुक अंग पर चोट कारित करने से उसे परिणाम का ज्ञान तो अवश्य रहा है अर्थात् यदि किसी व्यक्ति को लाठी व कांता जैसे घातक हथियार से सिर पर वार किया जाय तो उसको यह ज्ञान अवश्य होगा कि इससे चुटैल की मृत्यु कारित होना सम्भाव्य हो सकती है । **माननीय न्यायालय ने कुमार माझी बनाम उडीसा राज्य, सी०आर०एल जे, ए आइ आर, १९८७** में यह मत व्यक्त किया गया है कि प्रयुक्त हथियार व शरीर का वह अंग तथा प्रहार के तरीके से आशय का निर्धारण किया जा सकता है । इसी प्रकार **बी एन कान्तैया बनाम मैसूर राज्य , ए आइ आर, १९५८ एस सी ६७२** में माननीय न्यायालय में सिर को मार्मिक अंग माना है । इसी प्रकार **चाहत खॉ बनाम हरियाणा राज्य, १९९३ सी आर एल जे, ए आई आर १९७२ एस सी २५७४** में माननीय न्यायालय ने लाठी की चोट जो सिर पर मारी गयी हो को घातक माना गया है । यदि मान भी लिया जाय कि अभियुक्त गण अपने बचाव में उक्त कृत्य किये हैं तो

भी वह धारा ९९ भा०द०स० में दी गयी सीमा का उल्लंघन करके कार्य कये है । इस प्रकार बचाव पक्ष के आशय न होने के तथा स्वयं के बचाव के तर्क को माना नहीं जा सकता है और न ही उसका कोई लाभ ही दिया जा सकता है ।

३० बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि वादी द्वारा पुरानी रंजिश का कथन किया गया है कि परन्तु उक्त पुरानी रंजिश का उल्लेख नहीं किया है जिससे घटना संदिग्ध हो जाती है ।

३१ अभियोजन की तरफ से बचाव पक्ष के उक्त तर्क का खण्डन करते हुये कथन किया गया है कि पी०डब्लू-१ अपने बयान में रंजिश के बारे में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि दो तीन दिन पहले जानवरो को लेकर अभियुक्त गण से विवाद हुआ था जिसमें देखलेने व जान से मारने की धमकी देने का वर्णन किया गया है जिससे रंजिश स्पष्ट है ।

३२ पी०डब्लू-१ अपने बयान में कथन किया है कि मृतका शाकिरा मेरी माँ थी । घटना दिनांक २८-०५-२००९ की सुबह ८ बजे की है । अभियुक्त गण सगीर, शकील निजाम , मजीद है जो मेरे परिवार व गांव के है । उक्त घटना की दिन व समय पर मैं अपने दरवाजे पर बैठा मिट्टी का तेल बॉट रहा था । सभी अभियुक्त गण उपरोक्त मेरे दरवाजे पर आये, सगीर मुल्जिम के हाथ में कांता था तथा अन्य अभियुक्तो के हाथ में लाठीयां थी लेकर आये । अभियुक्त गण आते ही मुझे माँ बहन की गाली देते हुये झपटे तो मैं जान बचाकर अपने घर में छिप गया तब चारो अभियुक्त गण

मेरे घर मे घुस आये और मुझे लात घूसो से मारने लगे तब मेरे घर में मौजूद मेरी माँ शाकिरा, मुश्ताक, अहमद (भाई), भाई अकबाल अहमद व भाई मुस्तकीम मुझे बचाने आये । जब मेरी माँ मुझे बचाने के लिये आगे बढी तो अभियुक्त निजाम ने मेरी मां के सिर पर लाठी से मार दिया दोनो हाथ से लाठी पकडकर मेरी माँ के सिर पर मार दिया । बचना चाहा तो गम्भीर रूप से घायल कर दिया तब। शोर पर घर की औरते, बच्चे व गांव के अन्य लोग जान बचाये । माँ व भाइयो की हालत गम्भीर थी । घटना कारित करने के बाद अभियुक्त गण जान माल की धमकी देते हुये भाग गये । उसके बाद मैं अपनी माँ व चोटहिल भाइयो को जीप से लेकर जिला अस्पताल रायबरेली लाये । जहां पर मेरे चोटहिल भाइयो की डाक्टरी हुयी और मेरी मेरी माँ को जिसको कि निजाम ने लाठी से घर के अन्दर सर पर मारा था । उन्ही चोटो के कारण जिला अस्पताल रायबरेली पहुँचते ही मेरी माँ की मृत्यु घटना के दिन हो गयी । घटना वाले दिन ही अस्पताल में मृत्यु हुयी थी । मेरी चूँकि हल्की फुल्की लात घूसो की चोटे थी और जाहिरा चोट नहीं थी इसलिये मैं अपनी डाक्टरी नहीं करवायी फिर मैंने कोतवाली रायबरेली को सूचना दिया । सूचना मुहजुबानी डाक्टर के कहने पर दिया था । घटना वाले दिन ही मैंने करीब दो बजे दिन में थाना शिवगढ से थाने पहुँचने से पहले रास्ते में एक राहगीर से घटना की दरखास्त बोल-बोल कर लिखायी और लिखने के बाद राहगीर ने मुझे पढकर सुनाया था । तब मैंने उस प्रार्थना पत्र पर अपना दस्तखत किया था और इसी प्रार्थना पत्र को लेकर थाने में दिया था जिसे

उसने अपने लेख व हस्ताक्षर में साबित किया है जिस पर प्रदर्शक-१ डाला गया है। घटना के दो तीन दिन पहले जानवरो को लेकर मेरा अभियुक्तों से विवाद हुआ था जिसमें देख लेने व जान से मारने की धमकी दी थी। मजीद परिवार के रिस्ते में चाचा है। मेरे पिता व अभियुक्त मजीद सगे भाइयों थे। घर अलग-अलग थे। मेरे घर के दो घर बाद मजीद का घर पडता है। जब मैं थाने रिपोर्ट करने गया तो भांजा सयूम मेरे साथ था। चुटैल मुस्तकीम इकबाल, मुस्ताक मेरे साथ थाने नहीं गये थे। थाने के लिये घर से दो बजे निकला था कोतवाली में रिपोर्ट न लिखे जाने पर उसी दिन थाना शिवगढ में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। सगीर, मजीद शकील व निजाम लात घूसों से मारा। लाठी से नहीं मारा। दवा झोला झाप डाक्टर से लिया था। मां व भाइयों को जीन से सरकारी अस्पताल में ले आया था। जीप खरगी खेडा की थी जिसे मैं लाने नहीं गया था इसलिये नम्बर व कितना किराया दिया गया था नहीं जानता हूँ। घटना के पहले रामलोचन, राम बहादुर श्री कृष्ण को तेल दिया था जो बेहरिया व रानी खेडा के रहने वाले हैं। मां की मृत्यु ११ बजे जिला अस्पताल में हुयी। पंचायतनामा मेरे सामने नहीं हुआ। दूसरे दिन लाश लेकर घर गया था। दरोगा जी घटना वाले दिन मेरा बयान लिया था। मौका मुआयना मैंने कराया था। छिपने वाली चारपायी दरोगा जी को दिखाया था। मेरे कपडे में खून नहीं लगा था बल्कि जमीन में गिरा था जिसे दरोगा जी डिब्बे में लिये थे। मजीद को लाठी नहीं मारे थे निजाम ने मात्र एक लाठी मारी थी। मजीद ने एक लट्ठ मारी थी। शकील कितना मारा

ध्यान नहीं है। सगीर ने मुस्तकीम को कांते से वार किया था। उलटा या सीधा ध्यान नहीं है। संगीर ने कांते से इकबाल को मारा।

३३ पी०डब्लू-१ के बयान का समर्थन पी०डब्लू-२ मुस्ताक अहमद ने अपने बयान में किया है कि मृतका मेरी माँ थी। मेरा भाइ आलमीन दरवाजे पर मिट्टी का तेल बांट रहा था। सभी अभियुक्त गण गाली देते हुये मार डालने को कहा। सगीर के हाथ में कांता, शेष के हाथ में लाठी थी। लाठी डण्डा कांता लात घूसो से आलमीन को मारने लगे। मां जो बचाने आयी तो सभी लोग बचाने दौड़े। सभी लोग एक ही मकान में रहते हैं। मेरे सिर में चोट आयी थी। मां को मुस्तकीम व निजाम ने मारा। निजाम मां के सिर पर लाठी से मारा था। सभी का इलाज हुआ था। मां को अस्पताल पहुँचाते ही डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जब भाइ तेल बांट रहा था तो ५-६ लोग थे परन्तु उनके नाम नहीं जानता हूँ। जब मैं पहली बार भाइ के घर पहुँचा तो अन्दर मार पीट हो रही थी। सगीर ने मेरे भाइ को एक कांता मारा वह बच लिया परन्तु मैंने सगीर को कांता मारते नहीं देखा था। निजाम व मजीद ने आलमीन को कितनी लाठी मारी नहीं बता सकता। सगीर ने मुझे कांता से एक वार मारा मैंने बचा लिया। शकील व निजाम एक लाठी सिर पर मारी थी। मजीद दो वार किया एक वार बचा लिया दूसरी बार लग गया। मां को चोट बाद में आयी थी। मैं बाद में बेहोश हुआ था। घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन लिखायी गयी थी। मां के अंतिम संस्कार में शामिल था। दो दिन अस्पताल में रहे। खून लगा कपडा दरोगा जी को नहीं

दिया न कब्जा में लिया । आलमीन के साथ मार पीट घर के आंगन में हुयी थी । पंचायतनामा दूसरे दिन हुआथा । मैं वहां नहीं था । आलमीन के घर में चुटैलो का खून गिरा था अन्य चुटैल को आंगन में चोट आयी थी । बाहर नहीं आयी ।

३४ पी०डब्लू-३ ने अपने बयान में कथन किया है कि घटना दिनांक २८-०५-२००९ की सुबह करीब ८ बजे की है । हम सभी लोगो को मुल्जिमान ने मारा था । मेरी माँ साकिरा मरणासन्न हो गयी थी । मेरे भाइ आलमीन, गाडी की व्यवस्था करके हम लोगो को इलाज के लिये जिला अस्पताल ले गये थे । मेरा बायां हाथ टूट गया था । दरोगा जी घटना के दूसरे दिन मेरा बयान अस्पताल में लिया था । घटना के समय चारो भाइयो में बटवारा हो चुका था जो घटना के १५-२० साल पहले हो चुका था । मार पीट आंगन में हुयी थी । जब हम लोग आंगन में ही थे तो आलमीन को मुस्तकीम घसीटते हुये बाहर लाये थे । सभी भाइ मां के अतिम संस्कार में शामिल हुये थे ।

३५ बचाव पक्ष का यह तर्क है कि पी०डब्लू-१ ता पी०डब्लू-३ के बयान में घोर विरोधाभाष है क्योकि पी०डब्लू-१ अपने बयान मे घटना वाले दिन राहगीर से शिवगढ थाने पहुँचने से पहले दरखास्त लिखाना तथा पढकर हस्ताक्षर करना कहा है जबकि पी०डब्लू-२ अपने बयान में घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन लिखाने का कथन किया गया है तथा गवाहो द्वारा यह भी कहा गया है कि मार पीट घर के अन्दर हुयी जिससे

घटना संदिग्ध हो जाती है जिसका लाभ अभियुक्त गण को मिलना चाहिये ।

३६ अभियोजन की तरफ से उक्त तर्क का खण्डन करते हुये कथन किया गया कि गवाह ग्रामीण व अनपढ व्यक्ति है तथा समय ज्यादा बीतने पर उक्त सूक्ष्म एवं तुच्छ विसंगति आना स्वभाविक है इससे मामले के गुण-दोष पर प्रभाव नहीं पडता है और न ही उसका लाभ अभियुक्त गण को दिया जा सकता है ।

३७ अभियोजन की तरफ से पी०डब्लू-४ के रूप में डाक्टर राजीव कुमार दीक्षित को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने यह कथन किया कि वह दिनांक २९-०५-२००९ को जिला महिला चिकित्सालय मे रेडियोलाजिस्ट के पद पर तैनात थे । उसी दिन इ एम ओ जिला अस्पताल रायबरेली द्वारा एक्सरे हेतु रेफर किये गये मुस्तकीम की चोटो का एक्सरे अपनी देखरेख में एक्सरे टेक्नीशियन द्वारा कराया था । एक्सरे में दाहिने सर की टैम्पोरल हडडी में फैक्चर पाया गया । एक्सरे रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में जिसे वह साबित करते है जिस पर प्रदर्श क-२ डाला गया । चोट वाइटल पार्ट पर है जो प्राणघातक हो सकती है ।

उसी दिन इकबाल का एक्सरे भी उनकी देखरेख में एक्सरे टेक्नीशियन द्वारा किया गया था जो इ एम ओ द्वारा रेफर किया गया था जिसके हाथ के एक्सरे में तीसरी चौथी व पाचवी में मेटाकार्पल हडडी का फैक्चर पाया गया था । उक्त रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क-३ डाला गया है । चोटहिल मुस्तकीम की एक्सरे की कोइ पूरक

रिपोर्ट तैयार नहीं किया था ।

३८ पी०डब्लू-५ के रूप में डाक्टर प्रभाकर वरिष्ठ परामर्शदाता जिला चिकित्सालय रायबरेली को परीक्षित कराया गया है जिसने अपने मुख्य बयान में यह कहा है कि वह दिनांक २९-०५-२००९ को जिला अस्पताल रायबरेली में परामर्शदाता के पद पर था । उक्त तथि को उसकी डियूटी पोस्टमार्टम के लिये लगी थी । उसी दिन समय २बजे अपरान्ह मृतका शाकिरा का शव विच्छेदन किया जिसे कां० सी पी बैजनाथ यादव व होमगार्ड कोतवाली रायबरेली लेकर आये थे । मृतका की उम्र लगभग ७० वर्ष थी । मृतका औसत कद काठी की थी । जिसकी दोनो आंखे अधखुली थी । अकडन पास हो चुकी थी । मृतका के शरीर पर मृत्यु पूर्व की निम्न चोटे पायी गयी ।

१- फटा हुआ घाव ४.५ सेमी गुणे ३ सेमी गुणे बोन कैलिस डीप सिर के अग्रभाग पर पायी गयी जो दाहिनी भौ से १० सेमी उपर थी जिसकी मार्जेन इरगुलर थी जिसके डिसेकेशन पर फ्रन्टल बोन कइ टुकडो में टूटी हुयी मिली । मस्तिष्क की झिल्लिया और मस्तिष्क फटा हुआ मिला । मस्तिष्क का अग्रभाग सेरीब्रम फटा हुआ था और इन्द्रोकोनियम कैविटी में खून का थक्का मौजूद था । मृतका के दोनो फेफडे कन्जेस्टेड थे । अमाशय खाली पाया गया । छोटी आंत में गैस व पेस्टी मटेरियल पायी गयी । मृतका की मृत्यु मृत्यु पूर्व सिर में आयी चोट की वजह से सदमे कोमा में जाने की वजह से हुयी । उक्त साक्षी ने शव विच्छेदन आख्या प्रदर्श क-४

को साबित किया है। मृतका के सिर पर आयी चोट उसकी मृत्यु के लिये पर्याप्त थी। दिनांक २८-०५-२००९ की ८ बजे प्रातः मृतका को उक्त चोट आयी हो तो उसकी मृत्यु संभव है। जिरह में यह कहा कि यद्यपि मृतका के एक मात्र चोट थी। उक्त चोट गिरने के कारण आना संभव है तो उससे मृत्यु होना भी संभव है।

३९ अभियोजन की तरफ से पी०डब्लू-७ के रूप में इ०एम ओर डाक्टर अमरनाथ वरिष्ठ परामर्शदाता को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपने बयान में यह कथन किया है कि दिनांक २८-०५-२००९ को वह जिला अस्पताल रायबरेली में उक्त पद पर तैनात थे। उस दिन समय ११.१५ एम एम पर मजरूब मुस्तकीम के शरीर पर आयी चोटो का मुआयना किया और उसके शरीर पर निम्न चोटो पायी गयी-

१- नीलगू निशान ७ सेमी गुणे ३ सेमी दाहिने तरफ सिर के टेम्पोरल भाग पर थी जो दाहिने कान के करीब थी। इस चोट को अण्डर आब्जरवेशन रखा गया तथा एक्सरे की सलाह दी गयी।

२- दाहिने तरफ गर्दन में दर्द की शिकायत बता रहा था।

उक्त साक्षी की राय में चोट नम्बर-१ को अण्डर आब्जरवेशन रखा गया तथा चोट न०-२ साधारण प्रकृति की थी। उक्त साक्षी की राय में सभी चोटो बलन्ट एवं हार्ड आब्जेक्ट से पहुँचायी गयी थी। चोटो ताजी थी।

उसी दिन समय ११.४५ एम एम पर मजरूब अकबाल के चोटो का चिकित्सीय परीक्षण किया और उसके शरीर पर निम्न लिखित चोटो

पायी गयी-

१- फटा हुआ घाव ४ सेमी गुणे .५ सेमी गुणे स्कल्प डीप सिर के बाये तरफ जो कि बायी भौ से ७ सेमी उपर थी । इस चोट को अण्डर आब्जरवेशन रखा गया और एक्सरे की सलाह दी गयी ।

२- फटा हुआ घाव २ सेमी गुणे .५ सेमी गुणे स्कल्प डीप बाये भौ से ठीक उपर थी ।

३- नीलगू निशान उभरा हुआ ५ सेमी गुणे ४ सेमी जो बाये हाथ के पीछे भाग पर थी जिससे अण्डर आब्जरवेशन रखा गया और एक्सरे की सलाह दी गयी ।

४- खरोच का निशान ४ सेमी गुणे २ सेमी दाहिने तरफ कंधे के उपर ।

उक्त साक्षी की राय में चोट स०-१ व ३ को अण्डर आब्जरवेशन रखा गया था तथा एक्सरे की सलाह दी गयी । चोट स० २ व ४ साधारण थी । अवधि ताजी थी । सभी चोटे ब्लण्ट एवं हार्ड आब्जेक्ट से पहुँचायी गयी थी ।

उसी दिन समय १२.०५ पी एम पर मजरूब मुस्ताक अहमद का चिकित्सीय परीक्षण किया और उसके शरीर पर निम्न चोटे पायी गयी-

१- फटा हुआ घाव ५ सेमी गुणे १ सेमी गुणे स्कल्प डीप सर के एकदम टाप पर थी जो बायें कान से १० सेमी की दूरी पर थी । इस चोट

को अण्डर आब्जरवेशन रखा गया और एक्सरे की सलाह दी गयी ।

२- दाहिने तरफ फोरआर्म में दर्द की शिकायत बता रहा है ।

उक्त साक्षी की राय में चोट स०-१ को अण्डर आब्जरवेशन रखा गया और एक्सरे की सलाह दी गयी थी । चोट स०-२ साधारण थी । अवधि ताजी । सभी चोटे ब्लण्ट एवं हार्ड आब्जेक्ट से पहुँचायी गयी थी ।

तीनो चोटहिल की डाक्टरी रिपोर्ट कागज संख्या २६क १ ता ३ प्रमाणित फोटो प्रति इंजरी रिपोर्ट है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है । उसने मूल इंजरी रिपोर्ट पर चोटहिलो के निशानी अगूठा लगवाया था और प्रमाणित किया था जिसे प्रदर्श क-७ ता प्रदर्श क-९ के रूप में साबित किया है । मजरूब मुस्तकीम की चोट स०-१ चोटहिल अकबाल अहमद की चोट स०-१ व ३ तथा चोटहिल मुस्ताक अहमद की चोट स०-१ जिन्हें एक्सरे के लिये रिफर किया गया था गम्भीर प्रकृति की थी और प्राणघातक हो सकती थी । यह चोट लाठी डन्डा व बांका के पिछले हिस्से जो कि भोथरा होता है से आना संभव है । अपनी जिरह में यह कहा कि यद्यपि मैंने उपरोक्त चोटहिलो की कोई पूरक रिपोर्ट नहीं बनायी थी। तीनो चुटैलो की चोटो की रिपोर्ट की छाया प्रति मेरे सामने उपलब्ध है । मूल इंजरी रजिस्टर साथ नहीं लाया हूँ । चुटैल अकबाल अहमद की चोट स० १ व २ दोनो चोटे गिरने से आ सकती है तथा चुटैल मुस्ताक अहमद की चोट स० १ गिरने से आ सकती है । चोट स०-२ जाहिरा चोट नहीं है ।

४० बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि चुटैलो की चोटे डाक्टर को अनुचित प्रभाव व लाभ पहुँचाकर फर्जी बनवायी गयी है तथा एकसरे फर्जी व बनावटी है क्योंकि किसी भी चोटहिल के ऐसी कोई चोट नहीं थी जैसा कि आघात आख्या व एकसरे में दिखाया गया है तथा विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है इसी कारण पूरक रिपोर्ट फ्रैक्चर के बारे में डाक्टर द्वारा बनायी नहीं गयी है जिससे चोटे संदिग्ध हो जाती है तथा सन्देह का लाभ अभियुक्त गण को दिया जाना चाहिये ।

४१ अभियोजन की तरफ से बचाव पक्ष के उक्त तर्क का खण्डन करते हुये यह कथन किया गया है कि मौखिक साक्ष्य से गवाहो द्वारा चोटो का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है तथा मौखिक साक्ष्य का समर्थन डाक्टर के साक्ष्य से पूर्णतः होता है । इस बिन्दु पर अभियोजन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्था **सुधा शरन सिंह बनाम उ० प्र० राज्य (२०१६)४ एस सी सी , ३५७** प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि यदि प्रत्यक्ष साक्ष्य/चक्षुसाक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय है तो डाक्टर के साक्ष्य से उसे ज्यादा वरीयता दी जायेगी । प्रस्तुत प्रकरण में मौखिक साक्षियो द्वारा चोटो को स्पष्टः अंग विशेष का उल्लेख करते हुये साबित किया गया है जिस पर संदेह करने का कोई आधार नहीं है और न ही बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य जिरह में लाया जा सका है और न ही ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त हो सके ।

४२ पी०डब्लू-६ के रूप में एच सी ५१२ के रूप में शिव प्रताप सिंह को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में चिक संख्या ७८/०९ अ० स० ३११/२००९ धारा ३०४, ३०८, ३२३, ४५२, ५०४ व ५०६ भा०द०स० विरुद्ध सगीर आदि तथा इसी प्रासेस में तैयार की गयी जी०डी० की कार्बन प्रति को साबित किया है जो प्रदर्श क-५ व प्रदर्श क-६ के रूप में है जिस पर अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान करते हुये उन्हें साबित किया है। अपनी जिरह में यह कथन किया कि चिक लिखत समय एस ओ थाने पर उपलब्ध नहीं थे।

४३ बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि मार पीट घर के अन्दर होना गवाहो द्वारा बताया गया है तथा यह भी कहा गया कि सभी चोटहिल दो दिन अस्पताल में भर्ती थे तो मां के संस्कार में कैसे आये जबकि चोटे गम्भीर थी इससे भी अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है।

४४ अभियोजन की तरफ से बचाव पक्ष के उक्त तर्क का खण्डन करते हुये **उ०प्र०राज्य बनाम छोटे लाल ए आइ आर २०११ एस सी ६९७** प्रस्तुत किया गया जिसमें माननीय न्यायालय ने यह विधि व्यवस्था दी है कि यदि गवाह अशिक्षित एवं ग्रामीण है तो ऐसे गवाह से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह घटित घटना के बारे में समस्त तथ्यो का बारीकी से उल्लेख करे। प्रस्तुत प्रकरण के गवाह ग्रामीण एवं अशिक्षित है तो सूक्ष्म एवं तुच्छ प्रकृति की विसंगति आना संभव है और जहां घटना होने के समय में अन्तराल ज्यादा हो तो वहां बहुत अधिक सम्भावना बढ जाती है

तो उक्त विसंगति मात्र से मामले के गुण-दोष पर प्रभाव नहीं पड़ता है ।

४५ अभियोजन की तरफ से पी०डब्लू-८ के रूप में पंचायतनामा के गवाह उप निरीक्षक लालचन्द्र यादव को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि मैं मृतका श्रीमती शाकिरा पत्नी मो० सलीम के शव का पंचायतनामा समय करीब १४.३० बजे दिनांक २८-०५-२००९ को किया जो समय १५.४५ बजे समाप्त हुआ । पंचायतनामा कागज संख्या ११क/२ व ११क/३ मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसे मैं साबित करता हूँ जिस पर प्रदर्श क-१० डाला गया । पंचायतनामा के समय मेरे द्वारा प्रपत्र इ०एम०ओ चालान लाश व फोटो नाश जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है को मैं साबित करता हूँ जिस पर प्रदर्श क-११ ता प्रदर्श क-१३ डाला गया है । पंचान में मुस्तकीम अहमद, मो० अयूब, मो० शहजाद , श्रीमती बदरुनिशा व शमीम अहमद नियुक्त कर उनके हस्ताक्षर कराये गये । पंचान की राय में मृतका के केवल एक चोट सिर पर पायी गयी और कोई चोट पंचायतनामा करते समय नहीं पायी गयी परन्तु मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं था ।

४६ बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पंचायतनामा को संदिग्ध कहा गया तथा यह कथन किया गया कि पंचान नियुक्त नहीं हुये थे मात्र खाना पूर्ति की गयी है जिससे मृत्यु के कारण का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही मृत्यु के कारण को जानने के लिये उसका प्रयास ही किया गया जिससे घटना संदिग्ध हो जाती है । अभियोजन द्वारा उक्त तर्क का खण्डन

करते हुये यह कथन किया गया कि पंचान नियुक्त किये गये थे तथा **पी एम के डाक्टर द्वारा मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व आयी सिर में चोट से कोमा में जाने के कारण मृत्यु होना दर्शाया है** तथा पंचान द्वारा यदि मृत्यु का कारण पंचायतनामा में नहीं लिखा गया है तो कोई संदिग्धता नहीं है ।

४७ अभियोजन की तरफ से पी०डब्लू-९ के रूप में विवेचक सेवा निवृत्त विजयराज सिंह को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक २८-०५-२००९ को वह बतौर चौकी इंचार्ज गुमावा में तैनात था । विवेचना प्राप्त होने पर दिनांक २८-०५-२००९ को सी०डी० का पर्चा-। किता किया जिसमें नकल चिक, नकल रपट, बयान मजरुब सगीर, शकील, मजीद बयान लेखक प्रथम सूचना रिपोर्ट कां मो० शिव प्रताप सिंह व बयान वादी आलमीन तथा उल्लेख इंजरी रिपोर्ट सगीर, शकील, मजीद तथा अभियुक्त गण को अभिरक्षा में लिया गया । चोटहिल होने के कारण अभिरक्षा में इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया । थाने से वादी को लेकर घटना स्थल पर एस ओ साहब, उप निरीक्षक राम शंकर मय फोर्स मिले । वादी मुकदमा की निशा देही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया मौके से सादी व खून आलूद मिट्टी अलग अलग डिब्बे में कब्जे में लेकर सर्वमुहर किया । मौके पर फर्द उप निरीक्षक रामशंकर सिंह से बोल बोल कर तैयार करायी गयी । गवाहान को पढकर सुनाकर हस्ताक्षर बनवाये गये । फर्द की नकल सी डी में की गयी । फर्द बरामद सादी व खूनालूद मिट्टी शामिल पत्रावली कागज संख्या

१५क है जो उप निरीक्षक राम शंकर सिंह के लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क-१४ डाला गया है । जिला अस्पताल पहुँच कर मजरुब इकबाल, मुस्ताक, मुस्तकीम जनरल वार्ड में बेड संख्या १ ,२ व १३ पर भर्ती मिले बयान देने की स्थिति में नहीं थे इसलिये बयान नहीं लिया गया । अभियुक्त निजाम की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी किन्तु वह नहीं मिला । मुकदमें में सी डी ॥ दिनांक २९-०५-२००९ को किता किया जिसमें जिला चिकित्सालय में भर्ती मजरुब इकबाल मुस्तकीम व मुस्ताक के बयान दर्ज किये गये । मुस्तकीम की इंजरी का उल्लेख सी डी में किया गया । दिनांक ०१-०६-२००९ को सी डी ॥॥ किता किया गया जिसमें अभियुक्त निजाम की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी किन्तु वह नहीं मिला । गवाह आरिफ , वादी गवाह श्रीमती बदरुनिशा , फर्द गवाह शमीम व अतीक का बयान अंकित किया गया । दिनांक ०२-०६-२००९ को सी डी का पर्चा IV किता किया गया जिसमें मृतका श्रीमती शाकिरा का पंचायतनामा व पी एम रिपोर्ट का उल्लेख कर सी डी में अंकित किया गया । पी एम के अवलोकन से मृतका के सर में चोट का आना नाया गया । मृत्यु का कारण सर में आयी हुयी चोट थी । तत्पश्चात थाने से प्रस्थान कर ग्राम बाबूखेडा पहुँचा तथा पंचायतनामा के गवाह अयूब, शहजाद, बदरुनिशा व शमीम तथा कोतवाली रायबरेली में उप निरीक्षक लालचन्द्र व कां० बैजनाथ का बयान लेखबद्ध किया गया । दिनांक ०५-०६-२००९ को सी डी न० ५ किता किया गया इसमें एक्सरे रिपोर्ट मुस्तकीम, इकबाल अंकित किया गया तथा धारा ३२५

भा०द०स० की बढोत्तरी की गयी । दिनांक ०६-०६-२००९ को सी डी न० ६ व सी डी न० ७ दिनांक १७-०६-२००९ को अभियुक्त निजाम हेतु दबिश दी गयी परन्तु वह नही मिला । सी डी न० ८ दिनांक ११-०६-२००९ को रिमाण्ड का पर्चा मिला । बयान गवाह पंचान अंकित किया गया। सी डी न० ९ दिनांक २३-०६-२००९ को किता किया गया जिसमें दबिश निजाम की गयी तथा ८२/८३ हेतु रिपोर्ट दी गयी । सी डी न० ११ दिनांक २८-०६-२००९ को अभियुक्त निजाम की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी नही मिला । दिनांक ०१-०७-२००९ को अभियुक्त निजाम ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया सी डी में दर्ज किया । सी डी न० १३ दिनांक ०३-०७-२००९ वाद अनुमति जिला जेल रायबरेली में बयान लिया गया । विवेचना के उपरांत मुल्जिमान सगीर आदि के विरुद्ध धारा ३०४, ३०८, ४५२, ३२३, ३२५, ५०४, ५०६ भा०द०स० प्रमाणित होने पर उक्त अभियुक्त गण के विरुद्ध आरोप पत्र सं० ७२ए/२००९ दिनांक ०३-०७-२००९ को प्रेषित किया जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है । उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में नक्शा नजरी प्रदर्श क-१५ व आरोप पत्र प्रदर्श क-१६ को अपने लेख व हस्ताक्षर मे बताते हुये सबित किया है ।

४८

उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में यह कथन किया है कि

इस मुकदमें के क्रास केस अ०स०३११ए/२००९ धारा १४७ , १४८ , १४९, ३०७, ३२३, ५०४ व ५०६ भा०द०स० की भी विवेचना किया था नक्शा नजरी प्रदर्श क-१७ में प्रदर्शित स्थान ए से मैने खूनालूद व सादी

मिट्टी ली थी तथा बी से कोई खून नहीं मिलाथा सी स्थान पर कोई खून नहीं मिला । नक्शा नजरी में स्वतंत्र गवाह ने खडे होने के स्थान को नहीं दिखा गया । क्रास केस की नक्शा नजरी मैने चश्मदीद गवाह राम जी मौर्य की निशादेही पर बनाया था । घटना स्थल अलग अलग दिखाया गया है उसके संबंध में किसी स्वतंत्र साक्षी से जानने का प्रयास नहीं किया कि वास्तविक घटना कहां घटी ।

४९ बचाव पक्ष की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पी०डब्लू-१ वादी अपने बयान में मार पीट घर के अन्दर होना कहा है कि जबकि पी०डब्लू-२ मार पीट भाइ के घर के अन्दर होना कहा है तथा पी०डब्लू-३ ने कहा कि मार पीट आंगन में हुयी थी जबकि विवेचक पी०डब्लू-९ सादी मिट्टी व खूनालूद मिट्टी कब्जे में लिया परन्तु नक्शा नजरी में ए स्थान से सादी व खूनालूद मिट्टी लेना दिखाया गया है जो घटना को संदिग्ध बना देता है ।

५० अभियोजन द्वारा उक्त तर्क का खण्डन करते हुये **मकबूल बनाम स्टेट आफ आंध्र प्रदेश ए आी आर २०११ एस सी १८४** की विधि व्यवस्था प्रस्तुत करते हुये कथन किया कि खून आलूद व सादी मिट्टी यदि विवेचक द्वारा घटना स्थल से न लेकर भिन्न जगह से लिया गया है तो वह अभियोजन के लिये घातक नहीं है ।

५१ इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन व आकलन करने के

पश्चात यह स्पष्ट है कि अभियुक्त गण द्वारा एक राय होकर सभी को सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी के घर में घुस कर वादी को लात घूसो व डण्डा से मारा गया तो उसे बचाने उसकी मां शाकिरा व भाई मुस्ताक, अकबाल व मुस्तकीम आये तो उन्हें भी लाठी से मारा पीटा गया तथा उसी मार पीट व बचाने के दौरान निजाम द्वारा शाकिरा के सिर पर एक लाठी मारी गयी जिससे दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गयी। यद्यपि अभियुक्त गण का आशय साकिरा की मृत्यु कारित करने का नहीं था परन्तु उक्त अभियुक्त गण को अपने कार्य की प्रकृति का ज्ञान था तथा चुटैल मुस्तकीम के सिर में चोट आयी और टैम्पोरल हडडी में फ्रैक्चर पाया गया जिसे डाक्टर द्वारा साबित किया गया है और चोट वाइटल पार्ट पर आयी जिसे प्राणघातक होना कहा गया है। इसी प्रकार चुटैल इकबाल की तीसरी, चौथी, पाचवी मेटाकार्पल हडडी में फ्रैक्चर पाया गया तथा पी०डब्लू-७ डाक्टर अमरनाथ ने चुटैलो की चोटो को साबित भी किया गया है। उपरोक्त गवाहो के मौखिक बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध आघात आख्या व फ्रैक्चर रिपोर्ट के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त गण के विरुद्ध लगाये गये आरोपो को युक्ति-युक्त रूप से सन्देह के परे साबित करने में सफल रहा है।

५२ अतः अभियुक्त गण सगीर, निजाम, शकील व मजीद को धारा-३०४ के भाग-११ /३४ ,३०८ /३४ ,४५२ /३४ ,३२३ /३४,३२५ /३४,५०४ व ५०६ भा०द०स० के तहत लगाये गये आरोपो में दोषी पाये जाते हैं। अभियुक्त गण को न्यायिक अभिरक्षा में

लिया जाय । अभियुक्त गण जमानत पर है । उनके जमानतनामे व बंध पत्र निरस्त किये जाते है तथा उनके प्रतिभूगण को उनके-उनके दायित्वो से उन्मोचित किया जाता है । अभियुक्त गण द्वारा धारा ४३७ए द०प्र०स० के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानतनामें निरस्त किये जाते है । सजा के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली कुछ देन बाद पेश हो ।

दिनांक-०१-०४-२०१९

(राम दयाल)

सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश,

रायबरेली ।

५३ पत्रावली सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हुयी।

५४ अभियुक्त गण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि दोषसिद्ध अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है । उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है । समस्त परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी अभियुक्त गण पर है । दोषसिद्ध अभियुक्त गण को कम से कम दण्ड से दण्ड करने की याचना की गयी ।

५५ अभियोजन पक्ष की ओर से दोषसिद्ध अभियुक्त गण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का खण्डन करते हुये कथन किया गया कि अभियुक्त उपरोक्त के द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है । अतः उन्हे किसी प्रकार की सहानुभूति न प्रदान करते हुये उन्हे कठोर से कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी ।

५६ पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दोषसिद्ध अभियुक्त गण द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है इसलिये उन्हें दोषसिद्ध अपराध में आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायसंगत समझता हूँ।

आदेश

५७ अभियुक्त गण सगीर, निजाम, शकील व मजीद को धारा-३०४ के भाग 11 /३४ ,३०८ /३४ ,४५२ /३४ ,३२३ /३४,३२५ /३४,५०४ व ५०६ भा०द०स० के तहत लगाये गये आरोपो में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

५८ दोषसिद्ध अभियुक्त गण सगीर, निजाम, शकील व मजीद को धारा-३०४के भाग 11/३४ भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में प्रत्येक अभियुक्त गण को पाँच-पाँच वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को मु०-तीन-तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड न अदा करने पर प्रत्येक अभियुक्त को ३-३ माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

५९ दोषसिद्ध अभियुक्त गण सगीर, निजाम, शकील व मजीद को धारा-३०८/३४ भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में प्रत्येक अभियुक्त गण को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को मु०-दो-दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड न अदा करने पर प्रत्येक अभियुक्त को ३-३ माह के अतिरिक्त

साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

६० दोषसिद्ध अभियुक्त गण **सगीर, निजाम, शकील व मजीद** को धारा-४५२/३४ भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में प्रत्येक अभियुक्त गण को **तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास** व प्रत्येक अभियुक्त को **मु०-दो-दो हजार रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड न अदा करने पर प्रत्येक अभियुक्त को **३-३ माह** के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

६१ दोषसिद्ध अभियुक्त गण **सगीर, निजाम, शकील व मजीद** को धारा-३२३/३४ भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में प्रत्येक अभियुक्त गण को **छः-छः माह के साधारण कारावास** व प्रत्येक अभियुक्त को **मु०-पाँच-पाँच सौ रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को **३-३ माह** के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

६२ दोषसिद्ध अभियुक्त गण **सगीर, निजाम, शकील व मजीद** को धारा-३२५/३४ भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में प्रत्येक अभियुक्त गण को **तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास** व प्रत्येक अभियुक्त को **मु०-दो-दो हजार रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड न अदा करने पर प्रत्येक अभियुक्त गण को **३-३ माह** के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

६३ दोषसिद्ध अभियुक्त गण **सगीर, निजाम, शकील व**

मजीद को धारा-५०४ भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में प्रत्येक अभियुक्त गण को **एक-एक वर्ष** के कठोर **कारावास** व प्रत्येक अभियुक्त को मु०-**पाँच-पाँच सौ रूपये** के **अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है । । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को **३-३ माह** के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

६४ दोषसिद्ध अभियुक्त गण **सगीर, निजाम, शकील व मजीद** को धारा-५०६ भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में प्रत्येक अभियुक्त गण को **एक -एक वर्ष के कठोर कारावास** व मु० **पाँच-पाँच सौ रूपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को **३-३ माह** के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

६५ सभी सजाएँ साथ-साथ चलेगी । अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि दी गयी सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी ।

६६ दोषसिद्ध अभियुक्त उपरोक्त को दण्ड भुगतने हेतु सजायावी वारण्ट अविलंब बनाकर जिला कारागार, रायबरेली भेजा जाय । अभियुक्त को निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जाय ।

दिनांक-०१-०४-२०१९

(रामदयाल)

सप्तम, अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली ।

६७ आज यह निर्णय मेरे द्वारा दिनांकित व हस्ताक्षरित

सत्र परीक्षण संख्या-४८७/२०१०

उ० प्र० राज्य बनाम सगीर आदि

47

होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

दिनांक-०१-०४-२०१९

(रामदयाल)

सप्तम, अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली ।